

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

शेर सिंह बनाम मोला सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आरटीए नम्बर 35 सन् 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/44

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

1.03.2022

वादीगण शेर सिंह पुत्र गज्जन सिंह जाति तरखान निवासी 49 जी.जी. तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र गुप्ता ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 13.04.2022 को पेश हो।

(Handwritten signature)

10⁴/₂₂

वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी को भेजे गए पंजीकृत अम्न की डिप्लोमा रिपोर्ट पेश की शामिल मिसल रहे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक 16/5/22 को पेश हो

(Handwritten signature)

16⁵/₂₂

वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी स. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड ने वकालतनामा पेश किया। जवाब दावा हेतु समय थाहा। पत्रावली वास्ते जवाबदावा दिनांक 24/05/22 को पेश हो।

(Handwritten signature)

24⁵/₂₂

अधिवक्तागण उपस्थित। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा माथना पत्र पेश कर विवेदन किया कि उक्त अम्ननाम संकरण में लग पहाकारान का लोक अदालत की आवना से राजोनामा को भया है। इसलिए अब वादी उक्त मुकदमा को आगे

सभी राजाना समेत है। जहां नौ प्रथा
 कला समेत है। अतः जहां इन्हीं
 कोण पर स्थापित करवाया जावे।
 वही सजावट को सुना जायत
 सजावट का अवलोकन किया जाय।
 वही जगह जहां वादपुत्र अन्तर्गत जगह
 का अन्तर्गत ही नौ प्रथा करने पर
 जहां जगह पर स्थापित किया जाता
 है। सजावट की विधि होकर लखर
 के रूप होकर वादपुत्र अन्तर्गत है।

④